दो दिवसीय डीएई-बीआरएनएस संगोष्ठी
मध्यवर्ती ऊर्जा संघट्ट तक नाभिकीय अभिक्रिया और संरचना (एनआरएसआईसी-23)

आयोजक

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, कोलकाता

प्रायोजक

नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस), पऊवि

जनवरी 24 - 25, 2023

स्थान: वीईसीसी, कोलकाता में अजय दिवतिया लेक्चर हॉल

देश में प्रायोगिक और सैद्धांतिक नाभिकीय अभिक्रिया गतिकी और संरचना पर मूलभूत शोध को त्वरक, बीम स्पीशीज़ और संसूचना प्रणाली की नई सुविधाओं की उपलब्धता से एक नई दिशा मिली है। एक ओर, वीईसीसी में K-130 साइक्लोट्रॉन से इनर्ट स्पीशीज़ (जैसे ^{20}Ne) सहित भारी-आयन बीम उपलब्ध हैं और दूसरी ओर, वीईसीसी में K-500 अतिचालक साइक्लोट्रॉन से निकट भविष्य में उच्च ऊर्जा के भारी-आयन बीम प्राप्त करना अपेक्षित है। नव विकसित चक्र एरे, न्यूट्रॉन टाइम-ऑफ-फ्लाइट एरे डिटेक्टरों, उन्नत गैस डिटेक्टरों, गामा किरण डिटेक्टरों इत्यादि के साथ प्रायोगिक सुविधाओं में वृद्धि हुई है। इसलिए, अब समय आ गया है कि देश में नाभिकीय भौतिकी समुदाय न केवल इन सुविधाओं से अवगत हों और ऐसी राष्ट्रीय सुविधाओं का उपयोग करके प्रयोग करे बल्कि इस दिशा में अत्याधुनिक नाभिकीय उपकरण/सुविधा विकास में भी स्वयं को शामिल करें। यह दो दिवसीय संगोष्ठी भौतिकी कार्यक्रम के संबंध में गहन चर्चा पर केंद्रित होगी जिसे नई और आगामी सुविधाओं और उनके आगे के विकास के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

संगोष्ठी विषय

- कूलम्ब बैरियर से नजदीक और दूर नाभिकीय प्रतिक्रिया गतिकी
- अभिक्रिया नाभिक एवं नाभिकीय समीकरण अवस्था का अध्ययन
- नाभिकीय खगोल भौतिकी
- नाभिकीय संरचना

- संगोष्ठी ऑफ़लाइन मोड में आयोजित की जाएगी।
- इसमें आमंत्रित वार्ताएं और लघु प्रस्तुतियां शामिल होंगी

प्रतिभागिता केवल आमंत्रण दिए जाने पर ही स्वीकृत होंगी

भाग लेने के इच्छुक पीएचडी छात्र/पोस्टडॉक्स/युवा संकाय वेबसाइट के माध्यम से या ईमेल द्वारा अनुरोध भेज सकते हैं।

ईमेल से संपर्क करें: nrsic23@vecc.gov.in

वेबसाइट विजिट करें: https://events.vecc.gov.in/event/20/

पंजीकरण शुल्क : निःशुल्क

आयोजन समिति

जाने आलम: अध्यक्ष
शुभाशीष चट्टोपाध्याय: सह-अध्यक्ष
गोपाल मुखर्जी: संयोजक
तपन कु. राणा: संयुक्त सचिव
दीपक पंडित : सचिव

पर्णिका दास
कौशिक बनर्जी
तिलक कु. घोष
संतू मन्ना
अरिजीत सेन
रल्लापल्ली विश्वनाधम

कुछ पीएचडी छात्रों और पोस्ट डॉक्स के लिए अनुरोध पर सीमित वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी